लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 536
06 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

चीनी की जूट पैकेजिंग

536. **श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:**
श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री देवजी पटेल:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री रणजित सिंह नाईक निंबालकर:
श्री दिलीप शइकीया:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी की जूट पैकेजिंग अनिवार्य है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीनी की जूट पैकिंग उपयुक्त नहीं है क्योंकि नमी और सूक्ष्मजीवों के विकास के कारण इससे चीनी की गुणवत्ता खराब हो सकती है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त तथ्यों के आलोक में चीनी की अनिवार्य जूट पैकिंग संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क): केंद्र सरकार ने पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थायी सलाहकार समिति (एसएसी) का गठन किया है। एसएसी की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, केंद्र सरकार पटसन उत्पादकों और पटसन उद्योग में शामिल श्रमिकों के हित में वस्तुओं के आरक्षण प्रतिशत और अन्य संबंधित मामलों में निर्णय लेती है। नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, 100% खाद्यान्न और 20% चीनी को पटसन बैगों में पैक करना आवश्यक है।

(ख) और (ग): चीनी एक हाइड्रस कमोडिटी है जिसमें अंतर्निहित गुण होते हैं जो इसे नमी अवशोषण के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। चीनी की पैकिंग में पटसन बैग की उपयुक्तता के संबंध में, चीनी उद्योग में उपयोग की जाने वाली 50 किलोग्राम चीनी की पैकिंग के लिए विशेष रूप से बीआईएस द्वारा तकनीकी मानक पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

***